



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-31012026-269716
CG-OR-E-31012026-269716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394]
No. 394]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 29, 2026/माघ 9, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 29, 2026/MAGHA 9, 1947

रेल मंत्रालय
[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]
अधिसूचना

भुवनेश्वर, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 422(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम १९८९ (१९८९ का २४) की धारा २ के खंड ७(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ओडिशा राज्य में एतद्वारा निचे दी गई तालिका के स्तम्भ (२) में वर्णित अधिकारियों के स्तम्भ (३) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं के क्षेत्र के सम्बन्ध में इस तरह कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत करती है।

तालिका

क्रम सं	सक्षम प्राधिकारी का नाम	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	भूमि-अधिग्रहण अधिकारी, पुरी	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत काइपदर रोड(KPXR)-तापंग(TAP) (काइपदर रोड यार्ड) के बीच किमी 465/5-7 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या 205 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
2.	भूमि-अधिग्रहण अधिकारी, पुरी	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत मोटारी(MWQ)-डेलंग(DEG) के बीच किमी 464/33-465/1 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या केपी-09 को बंद

		करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।
3.	भूमि-अधिग्रहण अधिकारी, पुरी	खुर्दा रोड (केयूआर) सेक्शन के अंतर्गत बीरपुरसोत्तमपुर(BRST)-साखीगोपाल (SIL)(साखीगोपाल यार्ड) के बीच किमी 482/07-08 पर मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग संख्या केपी-27 को बंद करने के बदले में सड़क ऊपरी पुल का निर्माण।

[फा.सं. सीएओ/सी/आरएसपी/बीबीएस/2026/03 आरओबीएस/7(ए)]

सुधीर कुमार परिडा, मुख्य अभियंता(निर्माण-III)

MINISTRY OF RAILWAY

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 29th January, 2026

S.O. 422(E).—In exercise of the powers, conferred by Clause 7(A) of Section-2 of the Railways Act, 1989(24 of 1989) the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column(2) of the Table below as the Competent Authority to perform the function of such authority under said Act in respect of area of the Special Railway Project mentioned in column(3) of the Table below in the State of Odisha with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Sl. No.	Competent Authority	Area of the Special Railway Project
(1)	(2)	(3)
1.	Land Acquisition Officer, Puri	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.205 at Km 465/5-7 between Kaipadar Rd.(KPXR)-Tapang(TAP) (Kaipadar Rd Yard) under Khurda Rd.(KUR) Division.
2.	Land Acquisition Officer, Puri	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.KP-09 at Km 464/33-465/1 between Motari(MWQ)-Delang(DEG) under Khurda Rd.(KUR) Division.
3.	Land Acquisition Officer, Puri	Construction of Road Over Bridge in lieu of closing of manned LC No.KP-27 at Km 482/07-08 between Birpurusothampur (BRST)-Sakhi Gopal(SIL) (Sakhigopal Yard) under Khurda Rd.(KUR) Division.

[F. No. CAO/C/RSP/BBS/2026/03 ROB Odisha/7(A)]

SUDHIR KUMAR PARIDA, Chief Engineer (Construction-III)